POLICE COMMISSIONERATE

GAUTAM BUDH NAGAR

सराहनीय कार्य/ प्रेस विज्ञप्ति - दिनाकं 18.02.2024

1.थाना फेस-3 नोएडा पुलिस द्वारा, उत्तर प्रदेश भर्ती एवं प्रोन्नत बोर्ड द्वारा आयोजित आरक्षी नागरिक पुलिस सीधी भर्ती की लिखित परीक्षा में फर्जी कूटरचित आधार कार्ड तैयार कर परीक्षा देने आया फर्जी सॉल्वर व परीक्षार्थी गिरफ्तार, कब्जे से एक कूटरचित आधार कार्ड, कूटरचित एक प्रवेश पत्र, एक ओएमआर उत्तर पत्रक, एक प्रश्न पुस्तिका 12 वर्क, दो मोबाइल फोन, एक पासपोर्ट साइज फोटो व एक काला पेन बरामद।

कार्यवाही का विवरण-- दिनांक **18.02.2024** को थाना फेस-3 नोएडा पुलिस द्वारा द्वितीय पाली में उत्तर प्रदेश भर्ती एवं प्रोन्नत बोर्ड द्वारा, आयोजित आरक्षी नागरिक पुलिस की सीधी भर्ती की लिखित परीक्षा में फर्जी कूटरचित आधार कार्ड तैयार कर परीक्षा देने आया फर्जी सोल्वर/अभियुक्त 1.बादल चौधरी पुत्र अजीत सिंह व परीक्षार्थी 2.हरीशपाल अत्री पुत्र अमरपाल को परीक्षा केन्द्र ग्लोबल इंडियन इण्टरनेशनल स्कूल सेक्टर-71 से **गिरफ्तार** किया गया है। अभियुक्त के कब्जे से एक कूटरचित आधार कार्ड, एक कूटरचित प्रवेश पत्र, एक ओएमआर उत्तर पत्रक, एक प्रश्न पुस्तिका 12 वर्क, दो मोबाइल फोन, एक पासपोर्ट साइज फोटो व एक काला पेन बरामद हुआ है।

अपराध करने का तरीका-- फर्जी सॉल्वर/अभियुक्त बादल ने पूछने पर बताया कि हरीशपाल अत्री का भाई आकाश पुत्र अमरपाल निवासी ग्राम उदयपुर, थाना जहांगीरपुर, जिला बुलन्दशहर ने मुझसे कहा था कि मेरे भाई के बदले में परीक्षा केन्द्र पर आप परीक्षा दे दो तो मैं आपको 5 लाख रुपये दूंगा। मैंने लालच में आकर हाँ कर दी तथा आकाश ने मुझे 20 हजार रुपये पेटीएम के माध्मय से दिनांक 06.02.2024 को दिये थे और दिनांक 18.02.2024 को 99,999 रुपये फोन-पे यूपीआई माध्मय से दिये थे बाकी पैसे पेपर होने के बाद देना तय हुआ था। जिसके बाद मैं आकाश और हरीशपाल अत्री पुत्र अमरपाल निवासी ग्राम उदयपुर, थाना जहांगीरपुर, जिला बुलन्दशहर उम्र 25 वर्ष (परीक्षार्थी) ने मिलकर हरीशअत्री के आधारकार्ड पर फोटों लगाकर फर्जी आधार कार्ड तैयार किया। उसके बाद दिनांक 18.02.2024 की द्वितीय पाली की परीक्षा देने ग्लोबल इंडियन इंन्टरनेशनल स्कूल सेक्टर-71 परीक्षार्थी हरीश अत्री के साथ आया था। परीक्षा के दौरान परीक्षा में बैठे बादल चौधरी को गिरफ्तार किया गया और बाहर इंतजार कर रहा हरीशअत्री भी गिरफ्तार किया गया।

अभियुक्तों का विवरण-

1.बादल चौधरी पुत्र अजीत सिंह निवासी ग्राम नेकपुर, थाना जहांगीरपुर, जिला बुलन्दशहर उम्र करीब 19 वर्ष (फर्जी सोल्वर)।
2.हरीशपाल अत्री पुत्र अमरपाल निवासी ग्राम उदयपुर, थाना जहांगीरपुर, जिला बुलन्दशहर उम्र 25 वर्ष (परीक्षार्थी)।

पंजीकृत अभियोग का विवरण-

मु0अ0सं0- 48/2024 धारा 419,420,467,468,471 भादवि व धारा 4/10 उ0प्र0 सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम 1998 थाना फेस-3, गौतमबुद्धनगर।

बरामदगी का विवरण--

1.एक कूटरचित आधार कार्ड

2.कूटरचित एक प्रवेश पत्र
3.एक ओएमआर उत्तर पत्रक
4.एक प्रश्न पुस्तिका 12 वर्क
5.दो मोबाइल फोन
6.एक पासपोर्ट साइज फोटो
7.एक काला पैन बिना कैप

2.थाना रबूपुरा पुलिस द्वारा मारपीट व हत्या का प्रयास करने वाले 04 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से मारपीट में प्रयुक्त 04 डंडे बरामद।

कार्यवाही का विवरण-- दिनांक 18.02.2024 को थाना रबूपुरा पुलिस द्वारा, मु0अ0स0- 31/2024 धारा 147/149/323/307 भादवि के अंतर्गत वांछित अभियुक्तों 1. सचिन पुत्र वीरपाल उम्र 20 वर्ष 2. शिवम पुत्र मुख्तयार उम्र 19 वर्ष 3. अंकित पुत्र धीरेन्द्र सिंह उम्र 22 वर्ष 4. प्रवेश उर्फ परवेज पुत्र टिलुआ उर्फ रियासत उम्र 24 वर्ष समस्त निवासीगण मोहल्ला मीणा ठाकुरान कस्बा व थाना रबूपुरा जनपद गौतमबुद्धनगर को कस्बा रबूपुरा से **गिरफ्तार** किया गया है।

घटनाक्रम का विवरण-- दिनांक 15.02.2024 को वादी के भाई पर लाठी-डन्डों से हमला करने के सम्बन्ध में मु0अ0सं0 31/2024 धारा 147/149/323/307 भादवि बनाम 1. सचिन पुत्र वीरपाल 2. शिवराम पुत्र पुरूषोउत्तम 3. दीपक पुत्र मदन सिह 4. प्रवेश उर्फ परवेज पुत्र टिलुआ उर्फ रियासत 5. दीपक पुत्र राजेन्द्र 6. सुखवीर पुत्र सोकेन्द्र 7. अंकित पुत्र वीरेन्द्र 8. अर्जुन पुत्र मुक्की 9. मोहित पुत्र भूरा 10. शिवम पुत्र मुख्तयार 11. मोनू मीणा पुत्र सुखबीर मीणा निवासीगण ग्राम रबूपुरा गौतमबुद्धनगर एवं प्रकाश में आये अभि0 1. नवीन उर्फ निब्बू पुत्र वीरेन्द्र सिंह नि0 कस्बा व थाना रबूपुरा गौतमबुद्धनगर पंजीकृत हुआ था

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण--
1. सचिन पुत्र वीरपाल निवासी मौहल्ला मीणा ठाकुरान कस्बा व थाना रबूपुरा जनपद गौतमबुद्धनगर
2. शिवम पुत्र मुख्तयार निवासी मौहल्ला मीणा ठाकुरान कस्बा व थाना रबूपुरा जनपद गौतमबुद्धनगर
3. अंकित पुत्र धीरेन्द्र सिंह निवासी मौहल्ला मीणा ठाकुरान कस्बा व थाना रबूपुरा जनपद गौतमबुद्धनगर
4. प्रवेश उर्फ परवेज पुत्र टिलुआ उर्फ रियासत समस्त निवासी मौहल्ला मीणा ठाकुरान कस्बा व थाना रबूपुरा जनपद गौतमबुद्धनगर

पंजीकृत अभियोग व आपराधिक इतिहास का विवरण--
1. मु0अ0सं0 31/2024 धारा 147/149/323/307 भादवि, थाना रबूपुरा गौतमबुद्धनगर बनाम सचिन, शिवम, अंकित, प्रवेश उर्फ परवेज
2. मु0अ0सं0 173/2021 धारा 188/269/270 भादवि, थाना रबूपुरा गौतमबुद्धनगर बनाम सचिन

बरामदगी का विवरण--
1. मारपीट में प्रयुक्त 04 डंडे